दिनांकः 01.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा नाबालिक को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 30/10/2024 को वादी मौ0 नासिर पुत्र अब्दुल खालिद निवासी अन्जुम गार्डन थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र बाबत वादी की नाबालिग पुत्री ने घर मे रखे कीटनाशक को पीकर आत्महत्या कर ली है तथा आत्महत्या करने से पहले एक सुसाईड नोट लिखा है जिसमें अमन पुत्र अब्दुल मलिक निवासी पुरानी चुंगी निकट बागेश्वर मन्दिर थाना कोतवाली नगर सहारनपुर को अपनी मृत्यु का जिम्मेदार बताया है। उक्त सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0स0 267/24 धारा 107 बीएनएस बनाम अमन उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.11.24 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए 01 वांछित **अभियुक्त अमन पुत्र अब्दुल मलिक निवासी पुरानी चुंगी निकट बागेश्वर मन्दिर थाना कोतवाली नगर सहारनपुर** को नुमाईश कैम्प से ढमोला पुल जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अमन पुत्र अब्दुल मलिक निवासी पुरानी चुंगी निकट बागेश्वर मन्दिर थाना कोतवाली नगर सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0सं0 218/2023 धारा 376(3) भादवि व 4 पोक्सो अधि0 थाना कोतवाली नगर सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री केदार सिंह थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
2. कां0 1438 प्रदीप थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।

दिनांकः 01.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त को 10 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का सहित किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अवैध शराब की खरीद फरौख्त करने व तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्वेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त अल्ताफ पुत्र जाहिद निवासी ग्राम तेलीपुरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को माजरी कला रोड़ नर्सरी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 10 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0स0 338/2024 धारा 63 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त अल्ताफ ने पूछताछ बताया कि घरवाले खर्चे के लिये पैसा नही देते है। इसलिए मैं हरियाणा राज्य से सस्ती शराब को चोरी छिपे खरीद ले आता हूँ तथा अपने गांव के आस पास मजदूरी करने वाले मजदूरो को थोड़े मँहगे दामो मे बेचकर उन्ही पैसो से अपने शौक पूरा करता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अल्ताफ पुत्र जाहिद निवासी ग्राम तेलीपुरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

10 बोतल देशी शराब शराब हरि0 मार्का

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री रामबीर सिंह थाना सरसावा, सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री आकाश तोमर थाना सरसावा, सहारनपुर
3. का0 1960 टेकचन्द थाना सरसावा, सहारनपुर
4. का0 1997 विनीत कुमार थाना सरसावा, सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः- 01.11.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा जानलेवा हमले के मामलें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 01.11.2024 को वादी श्री अशोक कुमार पुत्र श्री नन्दू निवासी गांव कुतुबपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त राहुल आदि 04 व्यक्तियो द्वारा वादी के पुत्र आसू के साथ मारपीट कर जान से मारने की नीयत पटाखे पोडने वाली लोहे की रोड से सिर पर घातक वार करने तथा जाति सूचक शब्दो का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे मु0अ0स0 337/24 धारा 109/115(2)/351(2) व बीएनएस व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट व 3(1) द/ ध एससी/एसटी एक्ट के पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के नेतृत्व मे आज दिनांक 01.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त त्वरित कार्यवाही करते हुए जानलेवा हमले के मामलें में वांछित **अभियुक्त राहुल पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम कुतुबपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को ग्राम अपलाना कट से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त राहुल उपरोक्त ने बताया की दिनांक 31.10.2024 की रात्रि मे मै अपने गांव में लोहे की रोड से पटाखे चला रहा था तभी मेरे गांव के आसू ने मुझे पटाखा चलाने से मना किया तो मैने गुस्से मे आकर उसके सिर पर पटाखे चलाने वाली रोड से वार करके और मौके से भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

राहुल पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम कुतुबपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अंकित

1. मु0अ0सं0 160/16 धारा 308/323/504/506 भादवि थाना सरसावा स0पुर
2. मु0अ0स0 337/24 धारा 109/115(2)/351(2) व बीएनएस व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट व 3(1) द/ ध एससी/एसटी एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री रणबीर सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. का0 2391 सोनू कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. का0 2256 प्रेम कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. एचजी 1851 धर्मेन्द्र कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर